राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2432/2025

रविन्द्र सिंह नरूका

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुशाल सिंह राठौड, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा–2011 में नियुक्त हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 03.09.2012 को घोषित परिणाम के अनुसार मैरिट संख्या–286 थी, परन्तु आयोग द्वारा दिनांक 28.09.2016 को जारी परिणाम के अनुसार अपीलार्थी की मैरिट संख्या–83 है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पुरानी मैरिट संख्या–286 को ध्याम में रखकर ही वरिष्ठता सूची जारी की जाती रही है। अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्ति भी दर्ज की गयी थी, जिसका निराकरण नहीं किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 28.02.2025 को की गयी पदोन्नति से भी वंचित कर दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2025 को प्रस्तुत किया था, परन्तु उसका निस्तारण नहीं किया गया।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाए

की अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाए। ताकि अपीलार्थी को नियमित पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके। अपीलार्थी की सीमित प्रार्थना यह रही है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 03.03.2025 को जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, उसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा करवाया जाए।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2025 को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)